पत्रांक - 181/22 दिनांक - 18/04/22

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सिविल कार्ट प्रतापगढ़।

सूचना/प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली की योजना निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं 2010 के अन्तर्गत जनपद एवं तहसील के अधिवक्तागण से निम्न प्रारूप पर दिनांक 05.05.2022 तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है, जो विधिक सेवा एवं परामर्श देने हेतु 03 वर्षो के लिये गठित होने वाले पैनल में शामिल होने के इच्छुक हो और आंवटित किये गये न्यायालय में लम्बित मुकदमों में पैरवी हेतु नियमानुसार मानदेय देय होगा। उल्लेखनीय है कि 03 वर्षो से कम वकालत की अवधि वाले अधिवक्तागण आवेदन पात्र नही है।

आवेदन पत्र के साथ बार काउन्सिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वंय की रंगीन फोटो संलग्न करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,प्रतापगढ़ के कार्यालय में दिनंक 05.05.2022 तक जमा कर सकतें है। विस्तृत विवरण एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय समय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांकः 18.04.2022

18/04/2022
(नीरज कुमार त्रिपाठी)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि–

1. न्यायालय परिसर एवं जिला अधिवक्ता समिति कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर तथा समस्त तहसील समस्त परिसरों के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी,प्रतापगढ़ को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. कम्प्यूटर अनुभाग को मा0 उच्च न्यायालय एवं जनपद प्रतापगढ़ की वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।

18/04/2022
(नीरज कुमार त्रिपाठी)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रतापगढ़।

प्रारूप

1. नाम अधिवक्ता...
2. पिता का नाम...
3. स्थायी पता...
   ....
4. वर्तमान पता (वर्तमान में मुख्यालय/ ....
   तहसीलों में बैठने का स्थान सहित)...
5. दूरभाष/मोबाइल नम्बर...
6. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक (तीन वर्ष
   से कम अवधि वाले आवेदन हेतु पात्र नही है)
   (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना है)
7. शैक्षिक योग्यताः...
8. वकालत का क्षेत्र जिसमें विधिक
   सेवा देना चाहते है दीवानी,फौजदारी,
   राजस्व, परिवार न्यायालय,श्रम न्यायालय
   औधोगिक न्यायाधिकरण आदि।
9. अन्य विवरण यदि होः

दिनांकः आवेदक का नाम हस्ताक्षर